

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com



पत्रांक :.....17.....

दिनांक28/4/10.....

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295

(M) 9939469410

(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष

* शम्भु बाथ मिश्र

(M) 9431619672

(R) 0612-2288139

* मो० पुखलाक अहमद

(M) 9934280177

+++

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417

(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव

* राजबन्ध खडियार

(M) 9431093157

* अबिल कुमार

(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश खहादुर माथुर

(M) 9431407901

सेवा में,

उप मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार।

विषय :-

निर्गत वेतन पुर्जा में परिलक्षित त्रुटि के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति के प्रतिवेदन के उपरांत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत वेतन निर्धारण आदेश एवं इसके आंशिक संशोधन आदेश [संकल्प संख्या-3ए-2वे0पु0-16/9-630/पटना, दिनांक-21 जनवरी, 2010 एवं संकल्प संख्या-3ए-2वे0पु0-16/9-2110, दिनांक-26 फरवरी, 2010] के आलोक में वित्त (वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे वेतन पुर्जों में छठे वेतन आयोग की अनुशंसा पर अनुमान्य वेतन एवं अन्य भत्तों संबंधी सरकार के विभिन्न आदेशों के आलोक में निम्नलिखित त्रुटियाँ हैं :-

1. वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 3ए0 - 2 वे0 पु0 - 16 / 09 - 630 / पटना, दिनांक 21.01.2010 द्वारा निर्गत वेतन निर्धारण संबंधी संकल्प की कंडिका 7[1-A(ii)] में पुनरीक्षित वेतनमान के मूल वेतन निर्धारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें अपुनरीक्षित वेतनमान के दो या दो से अधिक वेतन बिन्दु पर कार्यरत पदाधिकारियों का वेतन



पत्रांक :

दिनांक

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष

* शम्भु बाधा मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139

* मो० पुखलाक अहमद
(M) 9934280177

+++

महासचिव

सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव

* राखबन्द खडिवार
(M) 9431093157

* अबिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शंखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

-2-

निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान में एक साथ गुच्छित हो जाने की स्थिति में नए वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है। प्रथम द्रष्टया वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा में अंकित वेतन गणना में इसका अनुपालन नहीं किया गया प्रतीत होता है, उदाहरणार्थ बिहार प्रशासनिक सेवा के 40वीं बैच (योगदान वर्ष-1997) का अपुनरीक्षित वेतनमान में 01.01.2006 को वेतन - 8100, 41वीं बैच (योगदान वर्ष-1999) का अपुनरीक्षित वेतनमान में 01.01.2006 को वेतन - 7700 तथा 42वीं बैच (योगदान वर्ष-2000) का अपुनरीक्षित वेतनमान में 01.01.2006 को वेतन - 7500 था, जबकि इन तीनों बैच के पदाधिकारियों का वेतन पुर्जा में दिनांक 01.01.2006 को इनका वेतन PB-3 के वेतन बैण्ड एवं 5400 के ग्रेड वेतन पर एक ही वेतन बिन्दु पर निर्धारित किया गया है। उपर में वर्णित कंडिका के आलोक में निर्गत किये गये एवं किये जा रहे वेतन पुर्जों में वेतन निर्धारण आदेश का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

2. इसी प्रकार परिवहन भत्ता के संबंध में वित्त विभाग का संकल्प संख्या 3ए0-3वे0पु0 (परि0भत्ता) 22/2009-12414 पटना दिनांक 31.12.2009 के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान (8000-13500) का पुनरीक्षित वेतनमान में परिवहन भत्ता 1000/रू0 है जबकि वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे वेतन पुर्जा में इस मद में 700/-रू0 अनुमान्य बताया गया है। ज्ञातव्य हो कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3ए-2-वे0पु0.04/2009-363 वि (2) दिनांक 17 जनवरी, 2009 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा को प्रवेश वेतनमान



पत्रांक :

दिनांक

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295

(M) 9939469410

(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष

* शम्भु बाधा मिश्र

(M) 9431619672

(R) 0612-2288139

* मो० पुख्तालाक अहमद

(M) 9934280177

+++

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417

(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव

* राखवबन्द खडियार

(M) 9431093157

* अबिल कुमार

(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शैखर सिंह

(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर


(M) 9431407901

-3-

8000-13500 दिनांक-01.01.2006 के प्रभाव से सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

3. इसी प्रकार परिवहन भत्ता के संबंध में वित्त विभाग का पत्र संख्या 3एम0-25-1299 (खण्ड-2) 8450/वि-2 दिनांक 30.12.1999 के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान (8000-13500) में परिवहन भत्ता 400/रु0 है जबकि वित्त (वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे वेतन पुर्जा में इस मद में दिनांक 01.01.2010 के पूर्व की अवधि में 200/-रु0 अनुमान्य बताया जा रहा है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए सरकार के आदेश के अनुरूप वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु संबंधितों को आदेश देने की कृपा की जाय।


(सुशील कुमार)
महासचिव